न्यायालय,समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,खगड़िया।

आदेश—पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक—ता0.............................से.............................

जिला—खगड़िया...............................,सा0...............................,सन्...............................

केस का प्रकारः—बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्याः— 138 / 2017 [illegible]

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख—सहित 3.
29.12.2017 [illegible] 02/01/18	बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम—2016 की धारा 30(ए) के तहत रेल थाना खगड़िया थाना में दर्ज कुल 04 कांड संख्या यथा (1) कांड संख्या—19 / 2017 दिनांक 09.06.2017, (2). कांड संख्या—23 / 2017, दिनांक 28. 07.2017, (3). कांड संख्या—31 / 2017 दिनांक 2.11.2017 एवं कांड संख्या —34 / 2017 दिनांक 08.12.2017 क्रमशः 750 एम0एल0 का 34 बोतल, 180 एम0 एल0 का 30 पाउच फ्रुटीनुमा, 375 एम0एल0 का 14 बोतल एवं 750 एम0एल0 का 18 बोतल जप्त किये गए विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु अनुसंशा रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार के पत्रांक 1532 / हि0शा0 दिनांक 14.12.2017 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न रेल थानाध्यक्ष, खगड़िया का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि बोतल विदेशी शराब रेल थाना खगड़िया के मालखाना में रखा गया है। पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरूपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है। अतएव प्राप्त प्रस्ताव / प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम—2016 की धारा—57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल थाना खगड़िया थाने के मालखाना में रखी गई कुल—49.650 लीटर विदेशी शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख—रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए रेल थाना खगड़िया थाना कुल चार कांड के आधार पर जप्त की गई कुल—49.650 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे। इस आदेश की प्रति रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार / थानाध्यक्ष, रेल थाना, खगड़िया / उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, खगड़िया। [seal: समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया (बिहार)] समाहर्त्ता, खगड़िया।	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	डी0 बी0 नं0 505 /विधि, दिनांक 30/12/2017 प्रतिलिपिः–रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार/ रेल थानाध्यक्ष, खगड़िया /अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। 3/1/2017 प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया। 30/12/17	